



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 146595

AY 146696



(9)

प्रकार चाहें प्लॉट उक्त को अपने काम में लावें आज से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का प्लॉट उक्त से कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं रहा। विक्रीत प्लॉट विक्रेता की किसी कमी के कारण कब्जे खरीदार से निकल जावे या उसे किसी प्रकार का नुकसान भरना पड़े तो ऐसी दशा में खरीदार को हक होगा कि वह अपना कुल

श्री लाम चौधरी

Tarun Kumar Singh

